

लोक-सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री नाथूलाल सेवकर्मानी प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना मय कलस्टर, रेफरेन्स संख्या 20221000071711, खसरा नम्बर 2901 एवं 3266/2882 निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक खनन पट्टा क्षेत्रफल 1.2052 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,32,000 TPA (ROM) (Saleable Mineral 66,000 TPA and Waste 66,000 TPA), कुल कलस्टर क्षेत्रफल— 15.4249 हेक्टेयर, कुल कलस्टर प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 15,45,296.5 TPA (ROM) हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 27 फरवरी, 2025 को प्रातः 11:15 बजे स्थान पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील-देवली, जिला-टोंक का कार्यवाही विवरण :-

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/67 दिनांक 03.01.2025 (संलग्नक-अ) के अनुक्रम में दिनांक 27 फरवरी, 2025 को प्रातः 11:15 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील-देवली, जिला-टोंक (राजस्थान) में मैसर्स श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री नाथूलाल सेवकर्मानी प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना मय कलस्टर, रेफरेन्स संख्या 20221000071711, खसरा नम्बर 2901 एवं 3266/2882 निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक खनन पट्टा क्षेत्रफल 1.2052 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,32,000 TPA (ROM) (Saleable Mineral 66,000 TPA and Waste 66,000 TPA), कुल कलस्टर क्षेत्रफल— 15.4249 हेक्टेयर, कुल कलस्टर प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 15,45,296.5 TPA (ROM) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक, जिला-टोंक (राजस्थान) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयी:-

1. श्री राम रतन सौकरिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक, जिला-टोंक
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी

लोक-सुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक-ब)। उक्त लोकसुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 21.01.2025 और स्थानीय समाचार पत्र "दैनिक अपना अखबार मॉर्निंग न्यूज़" में दिनांक 21.01.2025 को आम सूचना निर्धारित जनसुनवाई से 30 दिन पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक-स)। लोकसुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग डी.वी.डी. एवं फोटोग्राफ संलग्न है (संलग्नक-द)।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक (राज०)

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक, जिला-टोंक की अनुमति से लोकसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन-समूह को लोकसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की कि वे परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव बतावें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत/आक्षेप जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते हैं।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव एवं आक्षेप कलमबद्ध करके वीडियो रिकॉर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरूप राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान को प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना मय क्लस्टर के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमन्त्रित किया।

इसके पश्चात् मैसर्स श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री नाथूलाल सेवकर्माणी के सलाहकार मैसर्स वाईब्रेन्ट टेक्नोलेब प्राईवेट लिमिटेड की ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना मय क्लस्टर के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पावर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। खनन परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना की स्थिति, परियोजना के क्लस्टर में आने वाली अन्य खनन परियोजनाओं की जानकारी, कुल उत्पादन क्षमता, खनन भण्डार, लोकेशन मैप, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, खनन की अन्तिम सीमा, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, खनन की पद्धति, पर्यावरण प्रबंधन योजना, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक दायित्वों के तहत किये जाने वाले कार्यों का विवरण (सी.एस.आर.) व श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य आदि से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गई।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक, जिला टोंक ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन-समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:-


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी, राजस्थान


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज.)

21 श्री भंवर लाल जाट पुत्र श्री किशन लाल, ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक ने इस खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं जताई एवं सुझाव के रूप में वृक्षारोपण हेतु आग्रह किया है।

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला-टोंक ने परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार तथा परियोजना आवेदक को गांव में पुरानी सड़कों की मरम्मत एवं सड़क निर्माण करने, वृक्षारोपण करने, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने सी.एस. आर. गतिविधियों के अन्तर्गत आंगनवाड़ी व विद्यालयों के संधारण का कार्य करवाने हेतु सुझाव प्रदान किये ताकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला टोंक ने उपस्थित सभी ग्रामवासियों से एक बार पुनः कहा कि यदि उनके किसी प्रकार के अपने विचार/सुझाव/आपत्ति है तो वे लिखित व मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्तः में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी द्वारा उपस्थित सभी जन-समुदाय को धन्यवाद करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला टोंक की अनुमति से लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


(शिव कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बून्दी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी, राजस्थान


(राम रतन सौंकरिया)

अति० जिला कलक्टर टोंक,
जिला टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक (राज०)

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांक:- / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2024 / 67

दिनांक.....०३/०१/२०२५

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
दुन्दी।

विषय:- Public hearing for Environment Clearance for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील मालपुरा एवं देवली में स्थित ग्रामों में ग्रेनाइट खान चालू किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता है:-

क्र०सं०	पत्रावली दिनांक/फर्म का नाम	पत्रांक व का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 1819 दिनांक 24.12.2024 मैसर्स सुपर इण्डिया प्रोडक्ट्स, प्रो०श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल	गनवर	पंचायत समिति सभागार, मालपुरा में दिनांक 21.02.2025 प्रातः 11.00 बजे
2	पत्रांक 1822 दिनांक 24.12.2024 श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल एवं गोरी शंकर तोषनीवाल	डूंगरी कला	पंचायत समिति सभागार, मालपुरा में दिनांक 21.02.2025 प्रातः 11.15 बजे
3	पत्रांक 1188 दिनांक 01.10.2024 मै० स्टार स्टोन मार्बल एण्ड ग्रेनाइट	रूपाहेली	पंचायत समिति सभागार, मालपुरा में दिनांक 21.02.2025 प्रातः 11.30 बजे
4	पत्रांक 1192 दिनांक 03.07.2024 ओमप्रकाश तोषनीवाल	अजीतपुरा	पंचायत समिति सभागार, मालपुरा में दिनांक 21.02.2025 प्रातः 11.45 बजे
5	पत्रांक 392 दिनांक 03.07.2024 नैचुरल ग्रेनाइट्स	बीजवाड़	पंचायत समिति सभागार, देवली में दिनांक 27.02.2025 प्रातः 11.00 बजे
6	पत्रांक 1379 दिनांक 24.10.2024 श्री सुनिल कुमार	बीजवाड़	पंचायत समिति सभागार, देवली में दिनांक 27.02.2025 प्रातः 11.15 बजे
7	पत्रांक 1376 दिनांक 24.10.2024 श्री सुनिल कुमार	बीजवाड़	पंचायत समिति सभागार, देवली में दिनांक 27.02.2025 प्रातः 11.30 बजे

(राम रतन साँकरिया)

अति० जिला मजिस्ट्रेट,

टोंक
Signature valid

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And
Additional District Magistrate
Date: 2025.01.03 16:06:01 IST
Reason: Approved



श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथूलाल सेवकर्माणी, ग्रेनाईट स्टोन (रिफरेंस संख्या 20221000071711, क्षेत्रफल-1.2152 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1545296.50 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित ग्रेनाईट स्टोन उत्पादन क्षमता 132000 TPA निकट ग्राम - बिजवाड़, तहसील - देवली, जिला - टोंक पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत दिनांक 27.02.2025 को प्रातः 11:15 AM बजे, पंचायत समिति सभागार, देवली, तहसील-देवली, जिला-टोंक में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:-

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Ram Ratan Sonkani Aam Tonal		nal
2	SHIV KUMAR	Regional Officer, RSPCB, Bundi	
3	मिलिन्द सिंह तहसील AAO	कलेक्टर टोंक	
4	Sunil Kumar	Manoj Colony Ajmer road Kerkaj	Sunil
5	महावीर प्रसाद वारेन बीजवाड़	बीजवाड़	महावीर
6	महावीर जी	बिजवाड़	
7	कांछी लाल	बिजवाड़	
8	महावीर उलाह जाल	बीजवाड़	
9	मोहन जी	बीजवाड़	मोहन जी
10	शंकरलाल रेगार	बीजवाड़	शंकरलाल
11	महावीर मीना	बिजवाड़	महावीर
12	अजय शर्मा	बीजवाड़	अजय
13	सौजीर राम	बिजवाड़	सौजीराम
14	रामकरण	बिजवाड़	रामकरण
15	Mukesh Lal.	Vibrant P.T.O. Jaipur	Mukesh
16	Unesh R.V. Sharma	ETA coordination Vibrant Technolab Pvt. Ltd.	
17	Dileep Kumar Meena	JEE, RSPCB, Bundi	Dileep
18	Sanjay Verma. (Environmental Committee)	Universal Envirotech Jaipur	Sanjay
19	Mandira Sharma	Jaipur	Mandira
20			
21			

मुख्य अतिथि विप्रसेना प्रमुख सुनील तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि लोकेश शर्मा, बुद्धि प्रकाश शर्मा रहे। भगवान परशुराम एवं वेद माता गायत्री की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। विप्रसेना प्रमुख सुनील तिवारी ने बताया कि हमें ब्राह्मण एकता में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मिलकर लड़ना होगा। कार्यक्रम की प्रस्तावना बताते हुए आदर्श किशोर शर्मा ने कहा कि टोक में परशुराम भवन बनना चाहिए। सोहन शर्मा ने ब्राह्मण कर्मचारियों

लिए भी कहा। विशिष्ट अतिथि बुद्धि प्रकाश शर्मा ने कहा कि हमें आदान-प्रदान की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। लोकेश शर्मा ने कहा कि हमें आत्म मंथन की आवश्यकता है। हमें अपने गौरवमय इतिहास को याद करके उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए। अंत में सभी समागत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन अनिल कुमार चतुर्वेदी ने किया एवं विश्व कल्याण की कामना के साथ उक्त कार्यक्रम का समापन हुआ।

Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com
No- RPCB/RO Bundi/PUB-124/1961
Date: 08/01/25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकमानी, खसरा नम्बर 2901 एवं 3622/2882, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र- 15.4249 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकमानी द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना है जिसका (रैफरेंस संख्या- 20221000071711), खनन क्षेत्र 1.2152 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 132000 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 2901 एवं 3622/2882, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मध्य दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकमानी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित सक्षित अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं सक्षित कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
i. जिला कलक्टर, टोंक। ii. CEO जिला परिषद, टोंक।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना बूंदी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक। vi. उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, टोंक। viii. ग्राम पंचायत, देवली।
IX. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम देवली, तहसील देवली, जिला टोंक। X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
XI. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी, जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/ पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/ 67 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 27.02.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान- पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में आयोजित की जायेगी जिसमें उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आक्षेप/ सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैधिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बूंदी

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक/सं. एवं दू.उ.प.रे. जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी और से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई-निविदा का ऑनलाइन ई-टेंडर आमंत्रित किया जाता है। ई-टेंडर नोटिस नंबर एसएनटी-जेपी-19-2024-25 दिनांक 20.01.2025

1. कार्य का नाम व लोकेशन: जयपुर मंडल पर टीटीआर (सीएस + टीडब्ल्यूएस + सीएमएससी -150 सेट) के संबंध में सिगलिंग कार्य।
2. अनुमानित लागत: ₹. 1,50,17,382.56/-
3. बिड सिक्कुरिटी: ₹. 2,25,100.00/-
4. वेबसाइट पर टेंडर भरने की अंतिम तिथि एवं समय: 13.02.2025 समय 15.00 बजे तक।
5. वेबसाइट का विवरण और नोटिस बोर्ड की लोकेशन: www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड लोकेशन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पावर हाउस रोड, जयपुर।

81-DR/25

ई-निविदा सूचना संख्या: DRM-BRC 116 of 2024-25; भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (WA/C), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा - 390 004 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं: क्र.सं. (1) निविदा सं. एवं कार्य का नाम: **DRM BRC 116 of 2024-25**, B-CTD सेक्शन के बीच पहाल फाउंडेशन का सोर्सिंग, मरम्मत के सामने ब्रिज सं. 130 की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण। कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 23,80,68,776.15/- बोली सुरक्षा जमा कराना: ₹ 13,40,300.00/- निविदा जमा करने और निविदा खोलने की तिथि और समय: निविदाएं दि. 10.02.2025 को 15.00 बजे से पहले जमा कराना है और उसी दिन 15.30 बजे खोली जाएगी। वेबसाइट विवरण और सूचना बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा का पूर्ण विवरण देख सकते हैं: वेबसाइट @ www.ireps.gov.in मंडल रेल प्रबंधक (WA/C) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा - 390 004. W/623/NI/ of 2024-25 dated 16.01.2025 275 हमें लाइक करें: www.facebook.com/WesternRly

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
CAD सर्किल के पास कोटा
फोन नं. 0744-2500539, वेबसाइट: Lsg.rajabsthan.gov.in/uikota
दिनांक: 30.12.2024

ई-आक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का अवसर

न के माध्यम से पं. मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस योजना में खेड़ा जगपुरा में चार्जिंग स्टेशन/ पेट्रोल पम्प हेतु है। जो कि एन.एच.12 पर स्थित है तथा प्राधिकरण की नव विकास फार्म हाउस योजना, आर.टी.ओ. ऑफिस, न एवं आवासीय योजनाओं के समीप स्थित है। ई-आक्शन का आरम्भ दिनांक 21.01.2025 प्रातः 11.00 बजे से 2025 को दोपहर 02.00 बजे समाप्त हो जायेगा (अंतिम 5 मिनट में स्वतः बोली विस्तार नहीं होने की स्थिति में)। Lsg.rajabsthan.gov.in/uikota एवं udhonline.rajabsthan.gov.in कार्यालय समय में न्यास में ली है। दूरभाष नं. 0744-2500539/ (Helpline For Online Support-01412560211 पर सम्पर्क करें।

नवीय फॉर्म हाउस योजना खेड़ा जगपुरा में चार्जिंग स्टेशन/ पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड

क्षेत्रफल:- 1600 वर्गमीटर
प्रारम्भिक नीलामी दर: 30000/- प्र.व.मी.
आरक्षित दर: 35000/- प्र.व.मी.
धरोहर राशि: 960000/-

सचिव

Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com
No- RPCB/RO Bundi/PUB-123/1982
Date: 08/01/25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकमानी, खसरा नम्बर 2892 एवं 2894, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र- 15.4249 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकमानी द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना है जिसका (रैफरेंस संख्या- 20221000071719), खनन क्षेत्र 1.0742 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 117562-50 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 2892 एवं 2894, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मध्य दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकमानी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित सक्षित अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं सक्षित कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
i. जिला कलक्टर, टोंक। ii. CEO जिला परिषद, टोंक।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना बूंदी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक। vi. उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, टोंक। viii. ग्राम पंचायत, देवली।
IX. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम देवली, तहसील देवली, जिला टोंक। X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
XI. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी, जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/ पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/ 67 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 27.02.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान- पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में आयोजित की जायेगी जिसमें उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आक्षेप/ सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैधिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

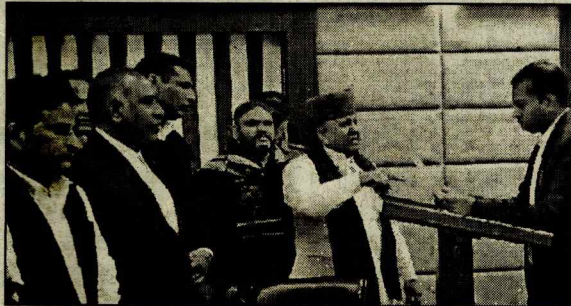
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बूंदी

को ज्ञापन दे चुके हैं। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर चुके हैं। हर बार माश्रवासन मिला, लेकिन अभी तक पक्का रोड बना नहीं। इससे रेशान होकर आज कई ग्रामीण ग्राम पंचायत मंडावर पहुंचे और गेराबाजी करते हुए रोड बनाने की मांग को लेकर सुबह साढ़े दस बजे पानी की टंकी पर चढ़ गए। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाया, लेकिन लोग समझे नहीं। लोगों ने कहा कि शाम तक उनके रोड बूनी स्वीकृति जारी नहीं हुई तो टंकी से कूद कर आत्महत्या भी कर सकते हैं।

उर्दू विद्यालय को हिंदी विद्यालय में मर्ज करने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी

दरगाह क्षेत्र स्थित अंदरकोट में हिंदी माध्यम विद्यालय में करते हुए सरकार व प्रशासन देश कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह ल ने कलेक्टर लोक बंधु को उर्दू माध्यम विद्यालयों यथावत

को दिए ज्ञापन में बताया स्थित अंदरकोट क्षेत्र जोकि है, वर्ष 1941 से संचालित गांव उर्दू माध्यम व बालिका मक विद्यालय अंदरकोट उर्दू तर्तमान में अल्पभाषायी उर्दू ता ने बताया कि 17 जनवरी र ने आदेश जारी कर उर्दू न्दी माध्यम राजकीय उच्च योजित कर दिया है, जो भिभावकों व क्षेत्रवासियों में



गहरा रोष है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि उर्दू माध्यम अल्पभाषायी विद्यालयों का अस्तित्व कायम रखते हुए इनको समायोजित करने की कार्यवाही को निरस्त किया जाए। ज्ञापन देने वालों में पार्श्व गजेंद्र सिंह रलावता, एएम अकबर, डॉ सोहेल अहमद, एडवोकेट मोहम्मद रईस खान, दानिश चिश्ती, फिरोजूल हसन चिश्ती, राजा चिश्ती, शफकउल्ला, मुजाहिद चिश्ती, हातिम अली, अकरम सिद्दीकी, साहिल हुसैन, अहमद हुसैन, तौफीक मोहम्मद, सुनील गुजर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय निवासी मौजूद रहे।

रियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन आंदोलन की ढी चेतावनी



नीकी घोषित करते हुए ग्रेड पे 3600 (एल- किया जाए। गिरदावरी ऐप में आवश्यक धन करवाया जाए ताकि यह कार्य पटवारियों ही किया जा सके। पटवार संघ सर्वेयर क्ति का विरोध करता है। 1035 पटवार नों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए। त कमेटी में लंबित पटवार मंडल और भू

अभिलेख निरीक्षक वृत्त की वित्तीय स्वीकृति जल्द दी जाए। लंबित और समीक्षा डीपीसी का आयोजन किया जाए। पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक और भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाए। 752 नव सृजित भू अभिलेख निरीक्षक पदों की स्वीकृति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। पटवारियों को उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाए।

बजट 2024-25 में स्वीकृत उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद के पदोन्नति कोटे को बढ़ाया जाए। तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक संवर्ग के कोटे का पुनर्निर्धारण किया जाए। वरिष्ठता सूची में अनियमितता को समाप्त कर नई सुसंगत सूची जारी की जाए। हार्ड ड्यूटी भत्ते को 2250 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए और स्टेशनरी भत्ते को 400 से बढ़ाकर एक हजार रुपए किया जाए।


Rajasthan State Pollution Control Board
 Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
 E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com
No- RPCB/RO Bundi/PUB-124/1961

Date: 08/01/25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी, खसरा नम्बर 2901 एवं 3622/2882, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र- 15.4249 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट माइनिंग परियोजना है जिसका (रेफरेंस संख्या- 20221000071711), खनन क्षेत्र 1.2152 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 132000 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 2901 एवं 3622/2882, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्तपरियोजना से सम्बन्धित सक्षित अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं सक्षित कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

i. जिला कलक्टर, टोंक। ii. CEO जिला परिषद, टोंक।

iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना बूंगरी, जयपुर।

iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक। vi. उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, टोंक। viii. ग्राम पंचायत, देवली।

IX. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम देवली, तहसील देवली, जिला टोंक। X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

XI. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/ पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/ 67 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 27.02.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान- पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में आयोजित की जायेगी जिसमें उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आक्षेप/ सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं.- बून्दी


Rajasthan State Pollution Control Board
 Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
 E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com
No- RPCB/RO Bundi/PUB-123/1982

Date: 08/01/25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी, खसरा नम्बर 2892 एवं 2894, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र- 15.4249 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट माइनिंग परियोजना है जिसका (रेफरेंस संख्या- 20221000071719), खनन क्षेत्र 1.0742 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 117562-50 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 2892 एवं 2894, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्तपरियोजना से सम्बन्धित सक्षित अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं सक्षित कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

i. जिला कलक्टर, टोंक। ii. CEO जिला परिषद, टोंक।

iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना बूंगरी, जयपुर।

iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक। vi. उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, टोंक। viii. ग्राम पंचायत, देवली।

IX. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम देवली, तहसील देवली, जिला टोंक। X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

XI. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/ पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/ 67 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 27.02.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान- पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में आयोजित की जायेगी जिसमें उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आक्षेप/ सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं.- बून्दी